



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार

14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या: 1927/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2023-5(08)/मा०सं०(04)/2022 दिनांक: 14/12/2023

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.11.2023 को सम्पन्न 219वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या-219.9 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के आदेश संख्या 2041/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2018 दिनांक 19.11.2018 द्वारा निगम में लागू स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या S-11045/36/2012-सी०जी०एच०एस०(HEC) दिनांक 01.10.2014 में उल्लिखित सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों के अनुक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या F.No. Z-15025/28/2022/DIR/सी०जी०एच०एस० दिनांक 12.04.2023 द्वारा निर्गत निम्नलिखित नवीन/पुनरीक्षित दरों को उत्पादन निगम में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है:-

- a) Consultation fee -
 - OPD Consultation Rs. 350/-
 - IPD Consultation Rs. 350/-
 - (for both NABH and Non-NABH accredited HCOs)
- b) ICU Charges -
 - Rs 5400/- for all categories of ward entitlement
 - (General Ward/Semi-private ward/Private ward)
 - (For non-NABH accredited hospitals the charges shall be 15% less)
- c) Room Rent -
 - General ward Rs. 1500/-
 - Semi-private ward Rs. 3000/-
 - Private ward Rs. 4500/-
 - (For both NABH and Non NABH accredited HCOs)

2- निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2041/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2018 दिनांक 19.11.2018 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। आदेश निर्गत होने से पूर्व के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे निगम द्वारा पूर्व निर्धारित दरों/नीति के अनुसार निस्तारित किये जायेंगे तथा पूर्व में निस्तारित किये जा चुके प्रकरण पुनरुद्घाटित नहीं किये जायेंगे।

3- भविष्य में सी०जी०एच०एस० की पुनरीक्षित दरों को निगम में लागू करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष, उ०नि०लि० को अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 1927/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2023/तदुदिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/जवाहरपुर/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/मलावन (एटा)/पनकी (कानपुर)।

क्रमशः 2/-

5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11), मा0सं0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ईंधन/जानपद-नव परियोजनायें/तापीय परिचालन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11), न्यू कोल ब्लॉक/प्रगति/पी0पी0एम0एम0, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की सम्पन्न 219वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या-219.9 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0-01/02/03/04/05/06)/(रिफार्म)/(टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य)/(प्रशिक्षण)/(तापीय परिचालन)/(जानपद)/(औ0सं0)/(लेखा प्रशासन), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/जवाहरपुर/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/मलावन (एटा)/पनकी (कानपुर)।
11. कट फाइल।

आज्ञा से,


(प्रवीण कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0-04)